पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Email Id-academicprsu3@gmail.com Phone No. 0771-2262540

क्रमांक / 1119 / अका. / सम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 23 / 06 / 2025

/ / आदेश / /

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2025 के अनुमोदनानुसार, स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–नरदहा, जिला–रायपुर को निम्नानुसार दर्शित कक्षा / विषय के लिये सत्र 2025–26 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com. (C.A.)-I	40	2025-26
2.	D.C.A.	40	2025-26

शर्तें :–

1. महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 17–19 / 2022 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 / 04 / 2025 के द्वारा पाठ्यक्रम की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
5. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा करेंगे। यदि पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है तो एफ.डी.आर. की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।
6. समय–समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
8. परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम / आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से 03 माह के भीतर नियुक्त / पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
9. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।
10. परिनियम–27 एवं 28 का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक / 1120 / अका. / सम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 23 / 06 / 2025

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी, द्वितीय / तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपु र (छ.ग.)
3. संचालक / प्राचार्य, आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
4. उप–कुलसचिव परीक्षा / विकास / स.कु.स. नामांकन / गोपनीय / वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (अका.)